महोबा पुलिस

दिनांक- 04.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 16/26

गुमशुदा युवती की तलाश अभियान में महोबा पुलिस को बड़ी सफलता:
02 वर्ष से लापता 17 वर्षीय किशोरी सकुशल बरामद

आज दिनांक 04.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री तेजप्रकाश के प्रभावी नेतृत्व में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुमशुदा युवती की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रकरण में थाना कोतवाली नगर महोबा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/24 धारा 363 भादवि से संबंधित 17 वर्षीय गुमशुदा युवती निवासी चुरबुरा, कोतवाली नगर महोबा, जो दिनांक 19.02.2024 से लापता थी, की तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा निरंतर अथक प्रयास किए जा रहे थे।
पुलिस टीम द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्यों एवं स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर विभिन्न संभावित स्थानों पर लगातार सघन चेकिंग एवं निगरानी की गई।

इसी क्रम में प्रभारी थाना एएचटी महोबा श्री अवधेश कुमार मिश्र, उप निरीक्षक शिवांगी प्रजापति एवं महिला आरक्षी नेहा देवी थाना कोतवाली नगर महोबा की टीम द्वारा सुनियोजित रणनीति एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप उक्त युवती को कलेक्ट्रेट रोड महोबा से सकुशल बरामद किया गया।

बरामदगी के उपरांत पीड़िता को सुरक्षित अभिरक्षा में लेकर उसके बयान आदि आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा उसे आवश्यक सहायता हेतु वन स्टॉप सेंटर महोबा भेजा जा रहा है।

महोबा पुलिस की इस सराहनीय कार्यवाही से एक बार फिर यह सिद्ध हुआ है कि जनपद पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं सहायता हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक मामले में संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य कर रही है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी थाना एएचटी महोबा श्री अवधेश कुमार मिश्र
- उ0नि0 शिवांगी प्रजापति
- म0का0 नेहा देवी

दिनांक- 04.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 17/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना खरेला

जनपदीय स्वाट/सर्विलांस व थाना खरेला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।

हत्या की घटना में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल तमंचा/कारतूस बरामद।

थाना खरेला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चन्दौली में सजातीय एवं एक ही गांव के दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष के 02 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान एक व्यक्ति की दुःखद मृत्यु हो गई।

प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरेला पर मु0अ0सं0 22/2026 धारा 103(1)/3(5)/191(2)/191(3)/190/109/352 बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारीगण द्वारा मय फील्ड यूनिट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

दिनांक 26.03.2026 को गठित संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या के 04 नफर वांछित अभियुक्तगण—

1. सन्तोष राजपूत पुत्र स्वामीदीन राजपूत उम्र करीब 46 वर्ष
2. नन्दकिशोर राजपूत पुत्र स्वामीदीन राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष
3. प्रवीन उर्फ मुन्ना राजपूत पुत्र सन्तोष सिंह राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा
4. उमेश रैकवार पुत्र अवधेश रैकवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कोनिया थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

को गिरफ्तार कर नियमानुसार जेल भेजा गया था। शेष वांछित/फरार व पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा घटना में संलिप्त 25-25 हजार रुपये के इनामी 02 नफर वांछित अभियुक्तगण—

1. कुलदीप यादव पुत्र रमाशंकर यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मवइया थाना अजनर जनपद महोबा
2. कपिल यादव पुत्र रामसजीवन उर्फ खिल्लू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम इमलियाडांग थाना चरखारी जनपद महोबा

को मुखबिर की सूचना पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी विवरण:

- अभियुक्त कपिल यादव से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद बांस का डण्डा बरामद
- अभियुक्त कुलदीप यादव से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद बांस का डण्डा बरामद

बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय महोबा भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम (थाना खरेला):

1. प्रभारी निरीक्षक नन्हेलाल
2. व0उ0नि0 शिवदान सिंह
3. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
4. का0 आशीष कुमार
5. का0 शील कुमार
6. का0 दीपक कुमार मौर्य

जनपदीय एसओजी/सर्विलांस टीम:

1. श्री शिवप्रताप सिंह, प्रभारी एसओजी
2. उ0नि0 विवेक यादव, प्रभारी सर्विलांस
3. कां0 दीपक वर्मा
4. कां0 रंजीत सिंह
5. कां0 आशीष बघेल
6. कां0 निलेश
7. कां0 अभिषेक दुबे
8. कां0 ऑपरेटर अभिषेक वर्मा
9. कां0 निर्भय सिंह
10. कां0 सत्यम सिंह जादौन

गिरफ्तार अभियुक्त:

1. कपिल यादव पुत्र रामसजीवन उर्फ खिल्लू, उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम इमलियाडांग थाना चरखारी जनपद महोबा
2. कुलदीप यादव पुत्र रमाशंकर यादव, उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मवइया थाना अजनर जनपद महोबा

अभियुक्त कपिल यादव का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 214/2024 धारा 115(2)/3(5)/352/351(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना चरखारी महोबा
2. मु0अ0सं0 180/2025 धारा 110/115(2)/126(2)/191(2)/352/351(3) बीएनएस थाना चरखारी महोबा
3. mu0अ0सं0 21/2026 धारा 110/115(2)/117(2)/126(2)/191(2)/324(4)/352/351(3) बीएनएस थाना चरखारी महोबा
4. मु0अ0सं0 253/2023 धारा 363/366/376(3)/506 भादवि व 3(2)5 व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट व 4 पोक्सो एक्ट
5. मु0अ0सं0 22/2026 धारा 103(1), 3(5), 191(2), 191(3), 190, 109, 352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरेला महोबा

अभियुक्त कुलदीप यादव का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 24/2018 धारा 380/411/454 भादवि थाना कुलपहाड़ महोबा
2. मु0अ0सं0 47/2018 धारा 379/411 भादवि थाना कुलपहाड़ महोबा
3. मु0अ0सं0 48/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कुलपहाड़ महोबा
4. मु0अ0सं0 195/2025 धारा 333/351(3)/74/75(2)/78(2)/79 बीएनएस व 66E आईटी एक्ट थाना चरखारी महोबा
5. मु0अ0सं0 21/2026 धारा 110/115(2)/117(2)/126(2)/191(2)/324(4)/352/351(3) बीएनएस थाना चरखारी महोबा
6. मु0अ0सं0 22/2026 धारा 103(1), 3(5), 191(2), 191(3), 190, 109, 352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरेला महोबा

दिनांक- 04.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 18/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना खरेला

थाना खरेला पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शंशाक सिंह के कुशल नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के दिशा-निर्देशन में थाना खरेला पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल द्वारा गठित टीम उ0नि0 राजकुमार व उ0नि0 तबरेज आलम मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा एक नफर अभियुक्त मौसम राजपूत पुत्र राजेश राजपूत, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम सिजौरा थाना चरखारी जनपद महोबा को टिकरी नहर पुलिया, बहद ग्राम टिकरी (लगभग 04 किमी पश्चिम) से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरेला पर मु0अ0सं0 30/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

मौसम राजपूत पुत्र राजेश राजपूत, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम सिजौरा थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण:

- एक अदद तमंचा 315 बोर
- एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 राजकुमार 2.उ0नि0 तबरेज आलम 3.का0 राघवेन्द्र कुमार 4.का0 अनिल कुमार सोनकर

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 04.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।

साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस — समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ